पत्र सं०–6 एस०एस०(6) 08/2017–2451/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–31/7 /2017.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशुस्वास्थ्य के अंतर्गत पटना शहर की सड़कों पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाली गायों को गोशाला में रखने पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशुस्वास्थ्य के अंतर्गत पटना शहर की सड़कों पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाली गायों को गोशाला में रखने पर उन पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पटना शहर की सड़कों पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाली गायों को पकड़ कर पटना अवस्थित गोशालाओं में रख कर उनके रख–रखाव पर होने वाले व्ययभार को वहन करना है ताकि पटना शहर को स्वच्छ रखा जा सके। इसके लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना को पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत विषय शीर्ष–0101.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में राशि आवंटित किये जायेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना इस प्राप्त होने वाले राशि से श्री कृष्ण गोशाला, पटना सिटी में रखे जाने वाले गायों के चारे, पशु दवा एवं उसके रख–रखाव एवं छोटे–मोटे आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना की मरम्मति पर व्यय करेंगे।

3. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु–स्वास्थ्य माँग सं०–02 उप शीर्ष–0101 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड–02-2403001010101 के तहत विषय शीर्ष–0101.21.01 –सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

31/7

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना होंगे। निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5. निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा कि पटना शहरी क्षेत्र के सड़कों पर यत्र–तत्र घुमते/रहने वाली गायों को पटना अवस्थित गोशालाओं में रखने पर उसके रख–रखाव, दवा एवं चारा दाना तथा छोटे–मोटे आधारभूत संरचना की मरम्मति पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना को राशि का आवंटन उपलब्ध कराते हुये यह निदेश जारी करेंगे कि इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं वरती जाय।

6. जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना का यह दायित्व होगा की अपने जिला अन्तर्गत संबंधित जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में इस योजना के तहत लक्षित कार्यो का सम्पादन करेंगे।

7. चूँकि यह नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 (पाँच) करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2199, दिनांक–24.03.2017 में प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस० (6) 08/2017 के पृष्ठ संख्या–06/टि०।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6) 08/2017 के पृष्ठ–07/टि० एवं डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–28.07.2017.

9. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

31/7

(मधुरानी ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2451 /पटना–15, दिनांक– 31 / 7 /2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/ बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/17
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2451/पटना–15, दिनांक– 31/7/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, जिला समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2451/पटना–15, दिनांक– 31/7/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2451/पटना–15, दिनांक– 31/7/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/ योजना शाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2451/पटना–15, दिनांक– 31/7/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक अतिरिक्त 05 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2451/पटना–15, दिनांक– 31/7/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7

सरकार के अपर सचिव।

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के तहत पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशुस्वास्थ्य अंतर्गत पटना शहर की सड़को पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाली गायों को पकड़कर गोशालाओं में रखने पर उनके रख–रखाव एवं चारा तथा छोटे–मोटे आधारभूत संरचना की मरम्मति पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

क्र०	मद् का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	0101.21.01सामग्री एवं पूर्तियाँ	50.00	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना।	जिला कोषागार, पटना समाहरणालय, पटना।
	योगः–	**50.00**		

(रुपये पचास लाख) मात्र ।

2451
31/7/17

31/7/17
सरकार के अपर सचिव।

4 E\Sanjay Kumar,Yojna.\17-18\Govt Order\25-07-2017